विषयः खमेर प्रजाति की काष्ठ को परिवहन अनुज्ञा पत्र की आवश्यकता से मुक्त करने बाबत.

वर्ष 2011 में राज्य शासन द्वारा यह निर्देश दिये गये थे कि कृषि वानिकी के माध्यम से स्थानीय ग्रामीणों की आजीविका को सुदृढ़ करने तथा कालांतर में प्राकृतिक वन क्षेत्रों पर इमारती लकड़ी के लिये दबाव कम करने के लिये खमेर प्रजाति को बढ़ावा दिया जाये तथा खमेर के पौधे जनता को वितरित किये जायें। राज्य शासन द्वारा उपरोक्त निर्णय लिये जाने तक खमेर प्रजाति के बीज उत्पादन का सीजन जा चुका था तथा आगामी सीजन मई 2011 में आया था। मई 2011 में विभाग ने मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ से अग्रिम नियोजन द्वारा पर्याप्त मात्रा में बीज का संग्रहण किया एवं विभागीय रोपणियों में पौधे तैयार करना प्रारंभ किया गया। वर्षा ऋतु प्रारंभ होने तक यह पौधे बहुत छोटे थे अतः इनका रोपण/ वितरण विस्तृत पैमाने पर वर्ष 2011 में संभव नहीं हुआ। अतः यह निर्धारित किया गया कि इन पौधों का उपयोग वर्ष 2012 में किया जावेगा तथा तब तक इस हेतु पर्याप्त प्रचार–प्रसार कर कृषकों की मांग अग्रिम रूप से एकत्र किये जायेंगे।

उपरोक्तानुसार कार्यवाही करते हुए विभाग की अनुसंधान एवं विस्तार शाखा द्वारा प्रचार–प्रसार की सामग्री तैयार कर मुद्रित करायी गयी एवं उसे वितरण के साथ–साथ कृषकों के साथ में सम्मेलन भी आयोजित कराये गये।

ऐसे ही एक सम्मेलन में कृषकों द्वारा दृढतापूर्वक यह मांग रखी कि खमेर प्रजाति को नीलगिरी, सूबबूल, बबूल एवं कैजुरिना की भांति परिवहन अनुज्ञा पत्र से मुक्त रखा जाये। इस नीतिगत परिवर्तन के बिना कृषक बड़े पैमाने पर खमेर के पौधे निजी भूमि पर रोपित करने के इच्छुक नहीं हैं। कृषकों के इस प्रस्ताव पर अनुसंधान एवं विस्तार शाखा तथा विकास शाखा के मध्य विस्तृत चर्चा उपरांत, अनुशंसा की गई कि उद्देश्यों की पूर्ति हेतु प्रस्तावित नीतिगत निर्णय तत्काल कृषकों के पक्ष में लिये जायें। मध्य प्रदेश के वन क्षेत्रों में खमेर की उपलब्धता सीमित है। अतः इस प्रस्तावित नीतिगत परिवर्तन का वनों के संरक्षण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। 1"A"

राज्य शासन द्वारा भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा–41, 42 एवं 76 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए प्रदेश में मध्यप्रदेश अभिवहन (वनोपज) नियम 2000 लागू किये गये हैं। इस नियमावली के नियम–3 के अनुसार किसी भी वनोपज को मध्यप्रदेश राज्य में या उसके बाहर अभिवहन पास के बिना परिवहन नहीं किया जा सकता, किन्तु नियम 3 (ख) के अंतर्गत ऐसी वनोपज को, जिसे राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इन नियमों के प्रवर्तन से छूट दी गई, के लिये अभिवहन पास अपेक्षित नहीं होगा। 1"B"

राज्य शासन द्वारा इस प्रावधान का उपयोग करते हुए ज्ञापन क्रमांक एफ– 30– 8– 2002 –10–3 दिनांक 16.5.2005, 21,12.2006, 11.4.2007, 1"C"

विषयः खमेर प्रजाति की काष्ठ को परिवहन अनुज्ञा पत्र की आवश्यकता से मुक्त करने बाबत.

पूर्व पृष्ठ से....

3.5.2011 राजपत्र में अधिसूचित करते हुए निम्न प्रजातियों की काष्ठ को परिवहन अनुज्ञा पत्र की अनिवार्यता से मुक्त किया जा चुका है।

(i)	नीलगिरी	–	यूकेलिप्टस प्रजातियां
(ii)	कैशूरिना	–	कैसूरिना इक्वेजेटिफोलिया
(iii)	सूबबूल	–	ल्यूसेनिया प्रजातियां
(iv)	पॉपलर	–	पाप्यूलस प्रजातियां
(v)	इजराइली बबूल	–	अकेसिया टॉरटिलस
(vi)	विलायती बबूल	–	प्रोसोफिस जूलिफलोरा
(vii)	बबूल	–	अकेसिया निलोटिका
(viii)	विलोपित		
(ix)	विलोपित		
(x)	आयातित / शकूधारी काष्ठ (चीड़, कैल, देवदार और पाईन) की अन्य प्रजातियां जो मध्य प्रदेश मे नहीं पाइ जाती हैं।		
(xi)	कटंग बांस	–	बेम्बुसा अरूंडिकेसिया

उक्त कार्यवाही के अनुक्रम में प्रदेश में खमेर वृक्षों की कृषि वानिकी को बढ़ावा देने के लिये इस प्रजाति की काष्ठ को परिवहन अनुज्ञा पत्र से छूट प्रदान करना प्रस्तावित है। तदनुसार मध्य प्रदेश अभिवहन (वनोपज) नियम 2000 में संशोधन हेतु प्रारूप हिन्दी एवं अंग्रेजी में संशोधित अधिसूचना शासन स्तर से जारी करने हेतु प्रेषित है। कृपया शासन स्तर से वांछित कार्यवाही करना चाहेंगे।

(रमेश के. दवे)
प्रधान मुख्य वन संरक्षक

प्रमुख सचिव, वन